Tenders, Purchase & registration of contractors

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल दिनांक 9 अगस्त, 92

1. जैसा कि आपको विदित है, राज्य के भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 के अंतर्गत जारी सूची जारी ब में 196 वस्तुए आरक्षित की गई है , जिसकी खरीदी सभी शासकीय विभागों को मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्य से करना अनिवार्य है । आरक्षित वस्तुओ की खरीदी शासकीय विभागो द्वारा मध्यप्रदेश लधु उद्योग निगम के अलावा अन्य स्त्रोतों से तभी की जा सकती है जबकि मध्यप्रदेश लघुउद्योग द्वारा उन विभागों अनूपलब्धता प्रमाण पत्र दे दे ।

2 शासन के ध्यान में यह लाया गया कि कतिपय शासकीय विभाग, आरक्षीतवस्तुओं कि खरीदी मध्यप्रदेश लघु उद्योग नियम से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये विना राष्टीय लघु उद्योग निगम से कर रहे है जो कि भण्डार क्रय नियमों का स्पष्ट उल्लघन है ।

3. उल्लेखनीय है कि भंडार क्रय नियमों के नियम –14 के पद क्रमाक 51 निम्नानूसार प्रावधान हैं :– **The purchasing authority while sending the bills to treasury shall record a certificate on it to the effect that provision of rule – have been fully compllod with.**

4. अतः आप से अनुरोध है कि कृपया आप विभागिया आधिकारिओ को निदेश देवे कि वे आरक्षित वस्तुओं कि खरीदी भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत केवल मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से ही करे तथा सभी भुगतान जारी करने के पूर्व इस बात की पुष्टि कर ले कि विभागो द्वारा खरीदी की कार्यवाही भण्डार क्रय नियमों के नियम 14 के प्रावधान के अनुसार ही हुई हें ।

भवदीय

सही

प्रदीप बैजल

समस्त मुख संचिव /प्रमुख संचिव एवं संचिव

मध्यप्रदेश शासन भोपाल